संख्या- 209 /2021/ 2243/चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2021**

विषय- देवी अन्नपूर्णा पुनर्स्थापना यात्रा (11-15 नवम्बर 2021) में 02 सांस्कृतिक रथो पर शोभा यात्रा प्रस्तुति हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान के पत्र संख्या-360/अयो0शो0सं0/2021-22 दिनांक 10 नवम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देवी अन्नपूर्णा पुनर्स्थापना यात्रा (11-15 नवम्बर 2021) में 02 सांस्कृतिक रथो पर शोभा यात्रा प्रस्तुति हेतु रू0 11,04,400/- (रूपये ग्यारह लाख चार हजार चार सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 11,04,400/- (रूपये ग्यारह लाख चार हजार चार सौ मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान अयोध्या शोध संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा और वास्तविक व्यय के अनुसार भुगतान कर, समस्त बिल बाउचर्स व विवरण, निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान द्वारा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 11,04,400/- (रूपये ग्यारह लाख चार हजार चार सौ मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या 209 /2021/2243/(1)/चार-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in